विचार बिन्दु

दुःख और वेदना के अथाह सागर वाले इस संसार में प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता है। –डॉ. रामकुमार वर्मा

दिल्ली में आबकारी कानून है वहां मद्य निषेध नहीं है, अत: राजस्व बढ़ाने की पॉलिसी बनाना अनैतिक असंवैधानिक है

राष्ट्रीय मद्य निषेध नीति के सशक्त व प्रबल प्रवक्ता राष्ट्रपिता बापू थे। साथ ही इसका समर्थन महिलाओं के एक समूह ने किया था। राष्ट्रपिता ने कहा था कि यदि उन्हें एक दिन के लिये भी निरंकुश शासक बना दिया जावे तो वे सबसे पहला कार्य शराब बंदी का करेंगे। मुस्लिम धर्म के मानने वालों का कहना है कि उनके पवित्र धार्मिक ग्रन्थ कुरान में शराब को सब पापों की जननी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है शराब की आय से कल्याणकारी राज्य का संचालन अनैतिक व असंवैधानिक है।

जिन राज्यों में मद्य निषेध नीति लागू की है वहाँ यह पाया गया है कि शराब पीने वालों की संख्या में कमी आई है और शराब पीने के बाद शराबी पुरूष जो महिला पर अत्याचार करते थे उनमें अच्छी कमी आई है।

संविधान के भाग IV में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजन से मिल उपयोग का अतिषेक करने का प्रयास करेगा। साथ ही अनुच्छेद 38 राज्य से यह अपेक्षा करते हुये निर्देश देता है कि वह लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिये सामाजिक व्यवस्था बनायेगा तथा लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 38 व अनुच्छेद 47 को पढने से स्पष्ट है कि हमारा देश भारत एक कल्याणकारी राज्य है, नैतिकता उसका आदर्श है और ऐसे राज्य का शराब की आय से संचालन नहीं किया जा सकता। देश के यशस्वी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने उक्त अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुये एक निर्णय में स्पष्ट रूप से माना था कि कोई भी राज्य अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अनैतिक आय का सहारा नहीं ले सकता। देश के सभी राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है वे राजस्व बढ़ाने के हेतु ही शराबबंदी नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली के केजरीवाल की शराब की नीति का मूल मंत्र राज्य की आय में वृद्धि का है। केजरीवाल की सरकार के विरूद्ध यही तो आरोप है कि उन्होंने राज्य की आय बढ़ाने के हेतु अपनी नीति में परिवर्तन किया है। शराब की कीमत में वृद्धि का ठेका दिया और उसके बेनिफिट प्राप्त किया। वर्तमान में केजरीवाल व उनकी सरकार के कुछ मंत्रियों के विरूद्ध ईडी की कार्यवाही कोर्ट में चल रही है।

मद्य निषेध का अर्थ है, शराब पीने पर प्रतिबंध, मनाही व रोक।

भारत में बॉम्बे राज्य में 1948 और 1958 के मध्य और फिर 1958 से मद्य निषेध कानून था। गुजरात में शराब बंदी कानून लागू है जो मादक पेय पदार्थों के Manufacturer] भंडारण, बिक्री और मादक पदार्थों की खपत को संचालित व प्रतिबंधित करता है। यह कानून 1960 से लागू है।

शराब (Alcohol) का निषेध, बिहार, गुजरात, नागालैण्ड व मिजोरम तथा लक्षद्वीप (UT) में है। एक समय राजस्थान में भी शराबबंदी कानून लाया गया था, किन्तु राज्य ने शराबबंदी की उस भावना के विरूद्ध जिसका उल्लेख कल्याणकारी राज्य के लिये किया है, शराबबंदी के कानून को ही Repeal कर दिया और Repeal करने मात्र से पूर्ववर्ती कानून को जीवित मान लिया। इस बाबत एक रिट् याचिका स्व. सिद्धराज जी की ओर से पेश हुई थी उसकी सुनवाई के समय राज्य ने यह Undertaking दी थी कि वह शनै-शनै शराब बंदी करेगा, किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ।

यहाँ यह लिखना भी समीचीन होगा कि संविधान की 7वीं सूची में यह विषय Entry 51 (क) में राज्य का है।

शराबबंदी के पक्ष में यह तर्क है कि यह निजता के कानून के विरूद्ध है। "मैं क्या खाऊँ, क्या पीऊँ" यह मेरा व्यक्तिगत अधिकार है इसमें क्यों राज्य का दखल? इसमें कोई शंका नहीं है कि शराब हिंसा की भावना को बढ़ावा देती है। निजता का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार के समान जैसा मान लिया है। शराब की आय अनैतिक होने से यह अधिकार अपवादों में आता है। मुरारजी देसाई ने कहा था कि जनहित में शराबबंदी कानून बनाना सरकार का अधिकार है। दुनियां के 42 देशों में शराब बंदी लागू है। एक जानकारी के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि सरकार को होने वाली आय से शराब के कारण वाले अपराधों व बीमारियों को लेकर सरकार को कई गुना अधिक धन खर्च करना पडता है।

यह भी जानकारी उपलब्ध है कि यदि 1 वर्ष के लिये भारत में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जावे तो जनता व सरकार का जितना धन बचेगा उससे 30 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल सकता है। 5000 विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं, 20 लाख कि.मी. सडक बनाई जा सकती है। देश में 80 प्रतिशत हीन व संगीन अपराध, 50 प्रतिशत घटनायें और 95 प्रतिशत नारी उत्पीडन कम हो जायेगा।

राष्ट्रपिता ने कहा था कि यदि उन्हें एक दिन के लिये भी निरंकुश शासक बना दिया जावे तो वे सबसे पहला कार्य शराब बंदी का करेंगे। मुस्लिम धर्म के मानने वालों का कहना है कि उनके पवित्र धार्मिक ग्रन्थ कुरान में शराब को सब पापों की जननी कहा है।

नीति निदेशक तत्वों के अधिकार मूल अधिकार दोनों ही Universal Declaration of Human Rights समान हैं। अत: जब मानव अधिकार Enforceable है तो फिर अब प्रगति के इस मार्ग में यह नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद 37 के अनुसार ये अधिकार प्रवर्तनशील नहीं है।

शराबबंदी के पक्ष में एक बार आन्दोलन हुआ था उसके संबंध में जस्टिस टेकचंद समिति नियुक्त की थी। उसने 12 सूत्र दिये थे इसके अनुसार सभी राज्यों को पूर्ण शराबबंदी की पोलिसी लागू करनी थी। इसके अनुसार यह सुझाव था कि जो राज्य शराब बंदी करेगा उसकी हानि का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार पूरी करेगा।

नवम्बर 2021 में पेश की गई नई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 का उद्देश्य राजधानी में शराब के खुदरा परिदृश्य में क्रान्ति लाना था। इसका उद्देश्य राज्य के लिये राजस्व को अधिकतम करना, नकली शराब की बिक्री को रोकना था।

सरकार के लिये शराब रेवेन्यू एक बडा साधन है। शराब पर टैक्स बढे या घटे पीने वालों पर इसका फर्क नहीं पडता। अत: राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से शराब पर टैक्स वसूलती हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी रेवेन्यू बढाने के लिये नई आबकारी नीति (New Excise Policy) लेकर आई। इससे सरकारी खजाना बढने का दावा किया गया लेकिन नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार के लिये गले की फांस बन गई। इस नई आबकारी नीति (New Excise Policy) की वजह से आम आदमी पार्टी (AAP) के तीन बडे नेता जेल पहुँच चुके हैं।

वस्तुत: इस नई आबकारी नीति के लागू होते ही दिल्ली में शराब और बीयर पर ऑफर की झडी लग गई। नई आबकारी पोलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी मुफ्त में मिल रही थी। कुछ जगह तो एक पेटी खरीद पर दूसरी पेटी फी दी जा रही थी। इस ऑफर के कारण दिल्ली में शराब की दुकानों पर लम्बी-लम्बी लाइनें लग गईं। 17 नवम्बर 2021 को नई एक्साईज पोलिसी लागू हुई थी। इसके बाद शराब बिक्री के नियम बदल गये। नई पोलिसी के तहत शराब स्टोर्स को अधिकार था कि ग्राहक को लुभाने के लिए वे गिफ्ट और डिस्काउन्ट दे सकते हैं जबकि इससे पहले की आबकारी नीति के तहत शराब के दाम सरकार तय करती थी, जिस कारण दुकानदार इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे और एक बोतल के साथ दूसरी फ्री जैसी कोई स्कीम नहीं थी। आबकारी अधिकारियों का कहना था कि दिल्ली में शराब पर 25 प्रतिशत की छूट थी जबकि एक बोतल की खरीद पर एक फ्री में के तहत् 50 प्रतिशत तक की छूट मिल गई। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत् वर्ष 2021-22 में राजधानी दिल्ली में शराब बिक्री का काम पूरी तरह निजी हाथों में दे दिया। यह कहा जाता है कि इसके लिये शराब की खुदरा विक्रेता कम्पनियों से शराब की बिक्री से पूर्व ही लाइसेंस शुल्क के रूप में 300 करोड़ रूपये लिये थे। विक्रेताओं को यह अनुमति दे दी गई कि वे एमआरपी से नीचे किसी भी दाम पर शराब बेच सकते हैं। यहीं से शराब में छूट देने का खेल शुरू हुआ। ठेकेदार अधिक से अधिक शराब बेचने के लिये छूट पर छूट देने लगे और लोग भी जमकर खरीद करते रहे, क्योंकि दिल्ली वाले घरों में 18 लीटर बीयर या वाईन रख सकते हैं।

दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा। केजरीवाल ने तर्क दिया इससे 3500 करोड रूपये का मुनाफा होगा। शराब नीति के तहत् दिल्ली में 32 जोन बनाये और हर जोन में 27 दुकानें खोली जा सकती थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राईवेट कर दिया गया। इससे पहिले दिल्ली में 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी प्राईवेट थीं। सरकार विवादों में फंस गई। सरकार ने 1 सितम्बर 2022 से पुरानी cieyeHesce Excise Policy को फिर से लागू कर दिया, क्योंकि जुलाई 2022 में दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी।

कथित शराब घोटाले का खुलासा 8.7.2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ। दिल्ली सरकार ने मौजूदा शराब नीति (Delhi Excise Policy) को आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये बढा दिया है।

दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बुलाया। इससे पूर्व आप नेता मनीष सिसोदिया व संजय सिंह को शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया। अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों का वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का मूल अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 19 के खण्डों में अपवाद है। राज्य किसी भी नागरिक को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता, हाँ, विधिवत कानून बनाकर ऐसा कर सकता है, किन्तु यह अधिकार उस समय उसे नहीं मिलेगा जब व्यापार Dangerous या Immoral हो और वह प्रतिबंधित हो और लाइसेंस दिये जाने पर आधारित हो। शराब का यह व्यापार नैतिकता की दृष्टि से अनुचित था और यों भी स्वास्थ्य के लिए घातक था।

इस लेख का संबंध केवल दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की वैधानिकता से है। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में ही Excise Act 2009 का है तथा 2010 के नियम हैं। सातवीं सूची की राज्य Alcoholic Liquors for Human Consumption पर उत्पादक शुल्क लगा सकता है और संविधान का अनुच्छेद 47/38 शराब बंदी की वकालत करता है यदि मादक पेय स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं तो वह लेवी असंवैधानिक है। अन्य राज्य जहां शराबबंदी कानून बनाकर की गई है, वैसी स्थिति दिल्ली राज्य की नहीं है। यहां शराब बंदी नहीं की गई अपितु शराब नीति बनाई गई है जिसके लिये कानून में कोई प्रावधान नहीं है। नई और पुरानी शराब नीति से शराब घोटाला (Excise Scam) कैसे हुआ, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ यह विषय न्यायालय द्वारा तय किया जावेगा; किन्तु Excise Policy शराब नीति के बनाने के पीछे कानून की Sanction नहीं है न हो सकती है। अत: शराब घोटाले का मामला है और राज्य की समस्त कार्यवाही संविधान के विपरीत है अर्थात् असंवैधानिक अनैतिक है। दिल्ली सरकार के द्वारा शराब नीति बनाना ही और इस राजकीय कार्य को निजी हाथों में देना सर्वथा अनाधिकृत असंवैधानिक व अनैतिक कृत्य था। आबकारी टैक्स लगाना संविधान के अनुच्छेद 265 के विरूद्ध है, क्योंकि कोई कर विधि के अधिकर से ही आरोपित या संग्रहित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत् शराब बंदी कानून बनाया जाना चाहिये था इसके विरूद्ध शराब की आय से राज्य का राजस्व बढ़ाया गया है। इन परिस्थितियों में ईडी ने केजरीवाल व उसके साथियों के विरूद्ध शराब घोटाले व मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है।

यह कैसी विडम्बना है कि जहां शराब बंदी का अर्थ है, 'शराब पीने की मनाही' और केजरीवाल जी की शराब नीति है, "दिल्ली वालों को खूब शराब पिलाओ"। सरकार राजस्व कमाये और जनता जान गंवाये। दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों की स्थिति भी यही है।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर

राजस्थानी भाषा-संस्कृति में वोट मांग रहे नेता मान्यता का भरोसा कब देंगे

राजेन्द्र जोशी

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक देश में इस समय लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी हलचल तेज होती नजर आ रही है, देशभर में सभी सरकारी काम लगभग चुनाव की भेंट चढ़ चुके हैं। चुनावी समर में नेता और कार्यकर्ता अपने और अपनी पार्टी लिए वोट मांग रहे हैं। संभवत आजाद भारत में यह पहला चुनाव होगा जब किसी विशेष मुद्दे पर चुनाव नहीं लडा जा रहा है। चुनाव में जनता नहीं है, जनता के मुद्दे नहीं हैं, मतदाता के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना राजनैतिक दलों के पास नहीं है। कला, साहित्य और संस्कृति की तो बात करना ही बेमानी लगती है।

इस चुनाव में केवल और केवल नेताओं का अपना मुद्दा है कोई भ्रष्टाचारियों को समाप्त करना चाहता है तो कुछ राजनैतिक दल तानाशाही के खिलाफ बात कर रहे हैं। किसी भी दल के पास जनता के बीच उनके लिए बात करने का मुद्दा और विषय नहीं है। सभी नेता और पार्टियां अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं। कोई 400 पार की बात कर रहा है तो कुछ अपनी खोई ताकत को एक दो सीट प्राप्त करके खाता खोलने की जुगत में है। हां यह जरूर है कि चुनाव में नेता जनता के बीच राजस्थानी भाषा में वोट मांग रहे हैं, तो कुछ नेता राजस्थानी नृत्य करके राजस्थानी संस्कृति के सहारे वोट मांग रहे है। ऐसे में मतदाता किसी भी उम्मीदवार को यह कहने की स्थिति में नहीं है कि आप जिस भाषा और जिस संस्कृति में हमारे बीच खडे हैं उस भाषा और उस संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है। राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। 25 लोकसभा सीटों के लिए बजा बिगुल अपने चरम पर है। अब कोई भी प्रत्याशी राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात नहीं कर रहा। मान्यता की बात नहीं कर रहा। हां यह जरूर है कि उम्मीदवार राजस्थानी भाषा में बात कर रहे है। राजस्थानी भाषा मान्यता आंदोलन के मतवाले जिनको उम्मीदवारों से सीधी बात करनी चाहिए जो राजस्थानी भाषा मान्यता की मांग करते रहे हैं वह इस बात से कतरा क्यों रहे हैं। अब वह आवाज भी सुनाई नहीं देती की "पैली भाषा पछै वोट भाषा नहीं तो वोट नहीं" यह बात भी लगभग बंद हो गई। लेकिन चुनाव के दौरान ही इन नारो की उपयोगिता नजर आती है जबकि यह नारे कहीं खो गए हैं।

नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने का भरोसा सरकार ने दिया है, स्थानीय भाषा जिसे मातृभाषा कहा जाता है उस भाषा की पहचान संविधान की आठवीं अनुसूची में नहीं होने से वह प्रदेश अपनी संस्कृति और भाषा के बगैर ही शिक्षा प्राप्त करता रहेगा। सबसे बडी विडम्बना तो यह है कि जो मतदाता सरकार पर भरोसा करता है, नेताओं पर भरोसा करता है उस मतदाता की आवाज का सम्मान करना नेता और सरकारों का दायित्व भी होना चाहिए।

पिछली केन्द्र सरकार में राजस्थान का जबरदस्त बोलबाला रहा लोकसभा अध्यक्ष राजस्थानी, राज्यसभा का सभापति अभी भी राजस्थानी होने के बावजूद पूरे पांच बरस राजस्थानी भाषा को मान्यता देने पर संसद में पुरजोर तरीके से चर्चा तक नहीं हो सकी।

राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए शायद किसी के घोषणा पत्र में यह बात नहीं होगी। मजे की बात तो यह है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव होने हैं। और राजस्थान की जनता बिना घोषणा-पत्र को जाने बिना वोट देने जाएगी, जब तक राजस्थान में चुनाव होंगे तब तक संबंधित राजनीतिक पार्टियों का संकल्प और वादे लिखित में नहीं पढ़ पाएंगे। अभी भी समय है राजस्थानी भाषा की मांग करने वाले 12 करोड राजस्थानियों को चेतने का कि वह नेताओं से भरोसा तो ले ले कि हम जीतने के बाद हमारे नेताओं को राजस्थानी भाषा की मान्यता हेतु मांग रखने की हिम्मत जुटाएंगे और सरकार के सम्मुख राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखेंगे।

- राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद-साहित्यकार
लेखक हिन्दी-राजस्थानी के
वरिष्ठ साहित्यकार,
कवि-कथाकार

108 कुंडीय महायज्ञ के शुभारंभ को लेकर प्रशासन ने जायजा लिया

पावटा, (निसं)। कस्बा निकटवर्ती बाबा बालनाथ आश्रम बावडी में बाबा बस्तिनाथ महाराज के सानिध्य में आगामी वर्ष 2024 में 365 दिन तक 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ व लखी कलश यात्रा का आयोजन को लेकर 11 अप्रैल को महायज्ञ के लिए 51 हजार महिलाओं की विशाल और ऐतिहासिक कलश यात्रा निकालने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महायज्ञ के प्रति आसपास के क्षेत्र में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

बाबा बस्तिनाथ महाराज ने बताया कि वर्षपर्यंत 11अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाले 108 कुण्डीय मृत्युञ्जय रुद्र महायज्ञ से पूर्व 11 अप्रैल गुरुवार को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी जिसमें हजारों महिला श्रद्धालुओं की भागीदारी रहने वाली है। जिसे लेकर यात्रा की भव्यता को देखते हुए इसकी पूर्व तैयारी के लिए गुरुवार को 51 हजार महिलाओं की कलश यात्रा के रास्ते

■ श्रद्धालुओं की बैठक व्यवस्था, आगमन और प्रस्थान तथा परिवहन व्यवस्था पर पूरा जोर

का संपूर्ण प्रशासन ने जायजा लिया जिसमें पावटा उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय, पावटा तहसीलदार प्रवीण सैनी, पावटा प्रागपुरा नगरपालिका ईओ बसंत सैनी, प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश मीणा, विद्युत विभाग जेईएन, पीडब्लूडी कर्मचारी व प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का अवलोकन किया। पावटा उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय ने निर्देश दिए कि यात्रा में कही भी किसी प्रकार से दिक्कत न हो और आम जनता भी परेशान न हो। अवलोकन के दौरान श्रद्धालुओं की बैठक व्यवस्था, कलश यात्रा का मार्ग, श्रद्धालुओं का आगमन और प्रस्थान तथा परिवहन व्यवस्था पर पूरा जोर दिया गया। कार्यकर्ता डॉ. सुरेन्द्र यादव, मदन यादव, मदनलाल सैनी प्रागपुरा, जीतु हुल्डा, अशोक सैनी, नरपत शेखावत, विक्रम यादव के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने नारायणपुर मोड प्रागपुरा से प्रागपुरा गुगाजी मन्दिर से पुराने पंचायत भवन पुलिस थाना होते हुये सर्विस लाइन होते हुये बावडी आश्रम तक सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वही पावटा उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय ने प्रागपुरा के मुय रास्ते व सर्विस लाइन को खाली करवाने, यात्रा के सपूर्ण रास्तों की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पावटा प्रागपुरा नगरपालिका ईओ बसंत सैनी व कार्यक्रम मे यातायात व्यवस्था व पार्किंग व्यवस्था के लिए प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश मीणा को निर्देशित किया। वही सभी विभागो को 11 अप्रेल को सभी व्यवस्थाए दुरुस्त व सुचारु करने के निर्देश दिये।

मीरा देवी की आंखें दो लोगों के जीवन को रोशन करेंगी

बूंदी (निसं)। शहरवासियों में बढ़ रही नेत्रदान जागरूकता के चलते शहर के 49 नैत्रदानियों द्वारा किए गए नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों की आंखों से अंधियारा दूर हो रहा है। शाइन इंडिया फाउडेशन के ज्योति मित्र महेश चांदवानी ने बताया कि गुरूवार को गुरु नानक कॉलोनी में

■ परिजनों ने मरणोपरांत नेत्रदान कराया

मीरा देवी

इस वर्ष का पांचवा नेत्रदान संपन्न हुआ। वहीं अकेले सिंधी समाज से अब तक एक दर्जन से ज्यादा नैदान करवाए गए हैं।

गुरूवार को ज्योति मित्र महेश चांदवानी ने गुरु नानक कॉलोनी निवासी मीरा देवी टेकवानी के आकस्मिक निधन के बाद उनके पुत्र राजेश कुमार टेकवानी व उनके देवर सिंधी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मंगुमल, गोपीचंद से संपर्क कर मीरा देवी के नेत्रदान करवाने का आग्रह किया। सामाजिक कार्य जुड़े रहे परिवार के सभी सदस्यों ने मीरादेवी के नेत्रदान के लिए सहज ही सहमति प्रदान कर दी। परिजनों की सहमति मिलते ही कोटा से बीबीजे चैप्टर के कॉऑर्डिनेटर डॉ. कुलवंत ने ज्योति मित्र इदरिस बोहरा के सहयोग से परिवार के सदस्यों के बीच नेत्रदान संपन्न करवाया। ज्योति मित्र इदरिस बोहरा ने शोकाकुल परिवार का आभार प्रकट करते हुए सभी से नेत्रदान के पुनीत कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया।

विश्व बैंक परियोजना के कार्यों का अवलोकन किया

उदयपुर, (निसं)। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि, उदयपुर में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना जो विश्व बैंक द्वारा संचालित है उसके टीम लीडर डॉ. बेकजोड शेमसीव ने विवि की विभिन्न इकाइयों में विश्व बैंक परियोजना द्वारा संचालित कार्यो का अवलोकन किया। उन्होनें विवि के कुलपति डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक एवं अधिकारियों के साथ संवाद भी किया तथा डेयरी एवं खाद्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय के नवीनीकृत प्रयोगशाला का दौरा किया एवं प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर के एक्सपेरियन्शल लर्निंग यूनिट (नई खाद्य प्रसन्सकरण प्रयोगशाला इकाई) में छात्रों द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों को भी देखा एवं सराहना की। इस अवसर पर डॉ. बेकजोड ने विवि के सभागार में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत विदेश में प्रशिक्षण लेने गये संकायों सदस्यों एवं छात्रों से एक-एक करके वार्ता की।

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर पुन: हिन्दी में किए जाने की तलवार लटकी

बीकानेर, (निसं)। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर पुन: हिन्दी में परिवर्तित किए जाने की तलवार लटक गई है। खासकर उन विद्यालयों पर जिनको पिछली सरकार ने चुनावी साल में कार्यकाल के बिलकुल आखिरी में अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया था। इसकी शुरुआत भी शिक्षा विभाग ने कर दी है। पिछले महीने ही कोटा संभाग में करीब डेढ़ दर्जन महात्मा गांधी स्कूलों को पुन: हिन्दी में परिवर्तित कर दिया गया।

महत्वपूर्ण यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश के सभी सीडीईओ व डीईओ से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में उपलब्ध साधन-संसाधन, अन्य सुविधाओं, छात्र शिक्षक अनुपात आदि के संबंध में रिपोर्ट मांग चुका है। प्रत्येक जिले से यह रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाई भी जा चुकी है। हालांकि रिपोर्ट मांगते समय आदेश में कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया कि संबंधित विद्यालयों की हिन्दी से अंग्रेजी में परिवर्तित करने की समीक्षा की जा रही है। मगर कोटा में अंग्रेजी से पुन: हिन्दी में विद्यालयों को परिवर्तित करने के बाद यह आशंका बलवती हो गई है कि नए शिक्षा सत्र में कई महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर कैंची चल सकती है।

■ खासकर उन विद्यालयों पर जिनको पिछली सरकार ने चुनावी साल में कार्यकाल के बिलकुल आखिरी में अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया था

जिले के 116 महात्मा गांधी विद्यालयों में नामांकन की स्थिति खराब नहीं है। लगभग 20 हजार का नामांकन चालू शिक्षा सत्र तक था। प्रारंभ में जो जिला मुख्यालय और फिर ब्लॉक स्तर पर एक-एक महात्मा गांधी स्कूल खोला गया था, उनमें तो बच्चों का प्रवेश लॉटरी के माध्यम से करना पड़ता है। आखिरी चरण में जो कई हिन्दी से अंग्रेजी में परिवर्तित किए गए थे, उनमें से कुछ में उपरोक्त स्थिति नहीं है।

निदेशालय ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में उपलब्ध साधन, संसाधन, सुविधा आदि के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी जो भिजवाई जा चुकी है। हालांकि ऐसा कोई आदेश नहीं था कि किसी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को बंद करने के लिए उक्त रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिले में वर्तमान में 116 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से 27 विद्यालय वे हैं, जिनको पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी महीनों में हिन्दी से अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया था।

चमन सिंह को डॉक्टर की उपाधि से नवाजा

उदयपुर, (निसं)। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संभागीय अध्यक्ष चमन सिंह चौहान को उदयपुर शहर व आसपास के पिछले करीब 25 सालों से वन्यजीवों एवं जलवायु परिवर्तन पर गहन अध्ययन करने पर साउथ अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डाक्टर की उपाधी से नवाजा।

कोरियर द्वारा डिग्री प्राप्त होने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय डायरेक्टर डॉ. शरद अरोडा द्वारा चमन सिंह चौहान को सामानित किया। संस्था के सचिव अब्दुल जब्बार नायक ने बताया कि हमारी संस्था ने उदयपूर ही नही पूरे राजस्थान मे वन्य जीव बचाओं अभियान की शुरुआत की है जिसका परिणाम आज राजस्थान के हर गांव शहर मे वन्य जीव बचाये जा रहे है। इस का पूरा श्रेय चमन सिह चौहान को मिलता है साथ ही हजारो नारी शक्ति को वन्य जीव बचाओ अभियान से जोडा गया।जो महिलाए वन विभाग के कई उच्च पदों पर अपनी सेवाए दे रही है।

राशिफल शुक्रवार 5 अप्रेल, 2024

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, धनिष्ठा नक्षत्र सांय 6:07 तक, साध्य योग प्रात: 9:55 तक, बालव करण दिन 1:29 तक, चन्द्रमा प्रात: 7:12 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कुम्भ, बुध-मीन, गुरू-मेष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

राजयोग दिन 1:29 से सांय 6:07 तक है। आज पापमोचनी एकादशी व्रत है और जमातुलविदा है। पंचक प्रात: 7:12 से आरम्भ होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:50 तक, लाभ-अमृत 7:50 से 10:57 तक, शुभ 12:30 से 2:03 तक, चर 5:09 सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:17, सूर्यास्त 6:42

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

सिंह
घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

धनु
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

वृष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

कन्या
व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन
आज धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

तुला
आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कुंभ
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

वृश्चिक
परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।